



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



व्यवसाय योजना

बुनाई

राधिका स्वयं सहायता समूह (कराडसू उप-समिति)



जैवविविधता प्रबंधन कमेटी
उप-समिति
ग्राम पंचायत
वन तकनीकी इकाई
मण्डलीय प्रबंधन इकाई
वन वृत्त समन्वय इकाई

कराडसू
कराडसू
काईस
वन्यप्राणी परिक्षेत्र, मनाली
वन्यप्राणी मंडल, कुल्लू
GHNP वृत्त, शमशी

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना
(जाईका वित्तपोषित)

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	कार्यकारिणी सारांश	3-4
2	स्वयं सहायता समूह की जानकारी	4-5
3.	ग्राम की भौगोलिक स्थिति	5-6
4.	समूह के गठन व गतिविधि का परिपेक्ष	6-9
5.	आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पाद का विवरण	9
6.	उत्पादन की प्रक्रिया	9-10
7	उत्पादन हेतु नियोजन	10
8	विपणन	10
9	श्रम का वितरण	11
10	शक्ति अवसर व जोखिम का ,दुर्बलता ,विश्लेषण	11-12
11	उधम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना/ आंकलन :	
	अ. पूंजीगत व्यय	12
	ब. आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए)	12-13
	स. उत्पादन की लागत (एक चक्र के लिए)	14
	द. विक्रय मूल्य की गणना / आंकलन	14
12	उधम हेतु लागत – लाभ विश्लेषण: (एक चक्र के लिए)	15
13	समूह की वित्तीय आवश्यकता	15
14	समूह की वित्तीय संसाधन	16
15	सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक ईवन प्वाइंट) की गणना	16
16	धनराशी की व्यवस्था	16-17
17	स्वयं सहायता समूह के नियम	17-18
18	समूह का सहमति पत्र व मण्डल प्रबन्धन इकाई की स्वकृति	19
19	स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के फोटोग्राफ	20

1. कार्यकारिणी सारांश

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय में स्थित है। यह राज्य कुदरती सुंदरता और समृद्धि, संस्कृति व धार्मिक धरोहर से भरपूर है। राज्य में विविध पारितंत्र, नदियों, घाटियों पाई जाती है। इसकी आबादी 70 लाख के करीब है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग कि० मी० है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से लेकर मध्य हिमालय का क्षेत्र के ऊँचाई व और ठंडे जोन का क्षेत्र पाया जाता है। राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 6 जिले में हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन और आजीविका सुधार परियोजना जाईका (JICA) के सहयोग से चलाई जा रही है। जिसमें कुल्लू जिला भी शामिल है। वन्यप्राणी मंडल कुल्लू में परियोजना के प्रथम चरण में कुल्लू और मनाली वन परिक्षेत्रों में स्थापित जैवविविधता प्रबंधन कमेटियों में इस परियोजना में उप-समितियां बनाई गईं और अभी तक प्रथम चरण की उपसमितियों में प्रत्येक उप-समिति में दो-दो स्वयं सहायता समूह जिनमें अधिकतर महिला सदस्य हैं, बनाये गए हैं।

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना जाईका (JICA) प्रारंभ होने पर जैवविविधता प्रबंधन कमेटी कराडसू के कराडसू उप-समिति की सूक्ष्म योजना बनाई गयी है। इस उप-समिति में महिलाओं के दो स्वयं सहायता समूह गठित किये गए जिनमें से राधिका समूह की महिलाओं ने अपनी आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए स्वेटर, जुराब, टोपी, मुफलर, कोटी आदि की बुनाई (Knitting) करने की गतिविधि का चयन किया।

उप-समिति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व बागवानी है परन्तु अधिकतर परिवारों की औसत भूमि बहुत कम है। अन्य संसाधन कम व दूर होने के कारण विशेषकर महिलाओं की आय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। यहाँ के लोग मुख्यता गेहूं, मक्की, जौ व दालों की खेती करने के साथ सब्जी उत्पादन तथा सेब, प्लम, खुमानी इत्यादि नकदी फसले उगाते हैं। परन्तु आय का अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए स्वयं सहायता समूह राधिका ने गरम धागों से वस्त्रों की बुनाई का कार्य करके अपनी आजीविका बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्वयं सहायता समूह का 10.06.2020 को गठन किया गया है। इस समूह में कुल 10 सदस्य हैं और सभी महिलाएं हैं। इस समान रुचि समूह ने विस्तार से चर्चा करने पर

चर्चा करने के उपरांत स्थानीय प्रचलन एवं नवीनतम फ्रेशन के अनुसार धागों से निर्मित महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के गरम वस्त्रों की बुनाई करने का निर्णय लिया है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य काईस में परियोजना की तरफ से सातोयामा (SATOYAMA) के माध्यम से भी पारिस्थितिकी तंत्र व आजीविका में सुधार में अतिरिक्त रूप से प्रयास किये जा रहे हैं थ साथ स्वयं सहायता समूहों को दिए अन्य कार्यों के सा। जाने वाले प्रशिक्षण तथा मशीनों पर व्यय होने वाली धनराशी का प्रावधान अन्य पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के कार्यों के साथ साथ किया गया है।

वैसे तो अधिकतर महिलाएं हाथ से बुनाई में दक्ष होती हैं, परन्तु परियोजना की सहायता से प्रारम्भ में स्वेटर, जुराब, टोपी, कोटी, मफ़लर आदि की मशीनों पर बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसपर लगभग 3200 रु की राशी प्रति सदस्य पर एक महीने के प्रशिक्षण का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। समूह में 10 महिलाएं सदस्य हैं जो सभी अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखती हैं और सभी आर्थिक रूप से अत्यंत निर्धन परिवारों से सम्बन्ध रखती हैं अतः पूंजीगत व्यय का 75% भाग भी परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1,00,000/- रिबोलविंग फण्ड दिया जाएगा। रिबॉल्विंग फण्ड से उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बैंक से ऋण लेने में सहायता मिलेगी या आवर्ती व्यय का प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण ये महिलाएं बैंक ऋण लेने में संकोच कर रही हैं। अतः इन्होंने आवश्यक पूंजीगत व्यय को नकद जमा करके स्वयं उठाने का निर्णय लिया है। समूह ने तय किया है कि सभी सदस्य नियम व शर्तों के हिसाब से कार्यों का आपसी वंटवारा करेंगे तथा समान रूप से कार्य के अनुसार लाभांश का वंटवारा करेंगे।

सदस्यों के पास आय सृजन की इस गतिविधि पर काम करने के किये नवम्बर से मार्च महीनों पर्याप्त समय होगा जबकि अन्य महीनों में खेती से सम्बंधित काम चरम पर होने के कारण सर्दी के महीनों की तुलना में कम समय मिलेगा। इस प्रकार से समूह के सदस्य औसतन प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकाल कर आजीविका बढ़ाने की इस गतिविधि को चलाएगा।

2. स्वयं सहायता समूह की जानकारी

2.1	स्वयं सहायता समूह का नाम	राधिका
2.2	स्वयं सहायता समूह का एम. आई. एस. कोड	-
2.3	जैवविविधता प्रबंधन कमेटी का नाम	कराडसू
2.4	वन तकनीकी इकाई	वन्यप्राणी परिक्षेत्र, मनाली

2.5	मण्डलीय प्रबंधन इकाई	वन्यप्राणी मंडल, कुल्लू
2.6	गाँव	राऊगी
2.7	विकास खण्ड	नगर
2.8	ज़िला	कुल्लू
2.9	समूह के सदस्यों की संख्या	10
2.10	समूह के गठन की तिथि	10.06.2020
2.11	समूह के मासिक वचत की दर	200/-
2.12	बैंक तथा शाखा का नाम	पंजाब नेशनल बैंक, सेऊबाग
2.13	बैंक खाता संख्या	243000100209674
2.14	समूह की कुल वचत	₹ 24,000/-
2.15	समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया ऋण	-
2.16	समूह के सदस्यों द्वारा वापिस किये ऋण की स्थिति	-

राधिका (कराडसू उप-समिति) समूह के सदस्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

क्र.सं	सदस्य का नाम व पता सुश्री/श्रीमती	पिता/ पति का नाम श्री	पद	गाँव	लिंग	श्रेणी	संपर्क
1	धन्ना देवी	गोविन्द	प्रधान	राऊगी	स्त्री	अनु.जाति	8580542427
2	सुरेन्दरी	सुरेन्दर कुमार	सचिव	राऊगी	स्त्री	अनु.जाति	7807762173
3	बिमला देवी	बुध राम	कोषाध्यक्ष	राऊगी	स्त्री	अनु.जाति	7876686375
4	शांति देवी	धरम चन्द	सदस्य	राऊगी	स्त्री	अनु.जाति	8894307964
5	मोक्षरी देवी	धरम चन्द	सदस्य	राऊगी	स्त्री	अनु.जाति	8278877478
6	भादरी देवी	दया राम	सदस्य	राऊगी	स्त्री	अनु.जाति	6230743032
7	शाउनी देवी	गोतम	सदस्य	राऊगी	स्त्री	अनु.जाति	9817636617
8	गुमती देवी	देवी राम	सदस्य	राऊगी	स्त्री	अनु.जाति	9805171874
9	कमला देवी	धर्म चन्द	सदस्य	राऊगी	स्त्री	अनु.जाति	7018417068
10	पिंकी देवी	राम दास	सदस्य	राऊगी	स्त्री	अनु.जाति	7807852481

3. गाँव की भौगोलिक स्थिति

3-1	ज़िला मुख्यालय से दूरी	10 किलोमीटर
3-2	मुख्य सड़क से दूरी	5 किलोमीटर
3-3	स्थानीय बाज़ार का नाम व दूरी	कुल्लू 10 किलोमीटर भुन्तर 20 किलोमीटर
3-4	मुख्य बाज़ार से दूरी	कुल्लू 10 किलोमीटर भुन्तर 20 किलोमीटर

		मनाली 34 किलोमीटर
3-5	अन्य मुख्य शहरों व कस्बों से दूरी	पतलीकूहल 21 किलोमीटर
3-6	बाज़ार जहाँ उत्पादों की विक्री की जाएगी	भुन्तर, कुल्लू, मनाली, पतलीकूह, काईस
3-7	गाँव से सम्बन्धित अन्य कोई विशिष्टता जो समूह की गतिविधि से सम्बंधित हो	अधिकतर महिलाएं हाथ की बुनाई का काम जानती हैं

4. समूह के गठन व गतिविधि का परिपेक्ष

(क) व्यवसाय योजना की आवश्यकता क्यों ?

राऊगी गाँव जो कि जैवविविधता प्रबंधन कमेटी कराडसू की उप-समिति कराडसू में पड़ता है, में महिलाओं का पहले से कोई भी समूह नहीं था। इसी उपसमिति में एक और महिलाओं का समूह परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है और उस समूह की महिलाओं ने भी बुनाई का ही कार्य करने का निर्णय लिया है। परियोजना के कार्य की शुरुआत में लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें परियोजना में इस प्रकार के समूह को परियोजना द्वारा प्रोत्साहन की व्यवस्था के बारे बताया गया व महिलाओं के रुचि दिखने पर परियोजना में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। राधिका समूह की सभी महिलाएं बुनाई का काम करके अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहती है। समूह की अधिकतर महिलाये पहले से हाथ की सिलईओं से बुनाई का कार्य करती है। परन्तु बुनाई की मशीनों से प्रत्येक वस्तु को बनाने में कम समय लगेगा। महिलाओं के पास बुनाई की मशीन नहीं है और न ही मशीन की बुनाई में प्रशिक्षित है। इन कारणों से अपनी आजीविका को इस कार्य में लगे समय के अनुपात में नहीं बढ़ा पा रही है। इसीलिए महिलाओं ने समूह के माध्यम से परियोजना से बुनाई की मशीनों तथा उचित प्रशिक्षण की मांग की है।

(ख) व्यवसाय योजना के उद्देश्य :

- समूह की सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना।
- समूह के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना।
- उत्पाद को उचित बाज़ार से जोड़ना।
- सभी सदस्यों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना।
- बुनाई की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
- आजीविका की बढोतरी।

(ग) व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल हैं :

महिला व पुरुषों के स्वेटर, कोटी, जुराब, मफलर, टोपी, बच्चों के गरम वस्त्र आदि की मशीन पर बुनाई करेंगे।

(घ) व्यवसाय योजना के कार्यों का विवरण :

(1) सामुदायिक गतिशीलता : इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जागरूकता एवं सामुदायिक गतिशीलता के उपरान्त आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन तथा उसके लिए लाभार्थियों की छंटनी की गयी है।

(2) समूह का निर्माण : स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एकत्रित कर समूह का गठन किया गया है तथा समूह का अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का सर्वसहमति से चुनाव किया गया है। समूह की सदस्यों की सहमति से समूह के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(3) क्षमता का निर्माण : लाभार्थियों की क्षमता निर्माण हेतु उनका उचित प्रशिक्षण करवाया जाना आवश्यक है जिस पर होने वाले व्यय का प्रावधान परियोजना द्वारा किया जाएगा।

(4) सिलाई मशीन इत्यादि का वितरण : समूह के सभी सदस्यों को अच्छी किस्म की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएं ताकि कम समय में अधिक कार्य कर सकें तथा विक्रय योग्य सफाई भी उत्पादों में दिखे।

(5) बाज़ार से जोड़ना : महिलाओं के अनुसार प्रारंभ में वे अपने गाँव तथा आस पास के गाँव में रहने वाले लोगों के लिए तथा बच्चों के लिए बुनाई का काम करेंगी। जिससे उनके समूह की आय होने लगेगी। इस के पश्चात् वे बाज़ार से मांग के अनुसार अलग अलग तरह के डिजाईन के पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के लिए गरम धागों से बुने वस्त्र बना कर निकट के बाज़ारों में बेचेंगी। अपने उत्पाद को बेचने के लिए समूह किसी सरकारी व निजी सोसाइटी से उचित शर्तों के साथ संबध स्थापित करने लिए तैयार है।

(6) वित्तीय संस्थानों एवं संबधित विभागों से जोड़ना : व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए समूह को वित्तीय संस्थानों से जोड़ने का पर्यास किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही

ऋण सुविधाओं से अवगत करवाया गया है तथा ऋण लेने की अवस्था में परियोजना द्वारा बैंकों से जोड़ा जाएगा। ऋण पर लगने वाले ब्याज का 5% हिस्सा भी परियोजना की ओर से सीधे बैंक को चुकाया जायेगा।

(7) बाज़ार की जानकारी : सिले सिलाये परिधानों को मांग के अनुसार बनाने की संभावनाओं को तलाशा जायेगा आस पास के गाँव में और निकट के कस्बों में विक्रय किया जायेगा।

(8) निगरानी का तरीका : व्यवसाय योजना शुरू होने से पहले लाभार्थियों का आधार रेखा सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके हर छः महीने अथवा साल के बाद निम्न मापदण्डों पर आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा :

क. मांग में बढ़ोतरी व बाज़ार में उत्पादन की स्वीकार्यता।

ख. बेचे गए उत्पाद में बढ़ोतरी।

ग. समूह के सदस्यों द्वारा उनकी गतिविधि में दिए जाने वाले औसत समय में वृद्धि।

घ. समूह/ प्रति सदस्य आय में बढ़ोतरी।

उप-समिति की कार्यकारिणी एवं उप-समिति की सामाजिक लेखापरीक्षण कमेटी (Social Audit Committee) समय समय पर समूह की गतिविधि के आकलन करते रहेंगे।

(9) अपेक्षित सहायता एवं संसाधन :

क. समूह की सभी महिलाएं अनुसूचित जाति से व अत्यंत निर्धन परिवारों से होने के कारण पूंजीगत व्यय का 75% भाग परियोजना द्वारा सहायता दी जाएगी, शेष भाग सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवर्ती व्यय को समूह अपनी वचत राशी से, रिवाँल्विंग फण्ड से अथवा बैंक ऋण ले कर कार्य को आगे बढ़ाएगा।

ख. कुल कार्यकर्ता 10 सदस्य

ग. तकनीकी सहायता गाँव में ही मास्टर ट्रेनर लगाकर परियोजना द्वारा उचित प्रशिक्षण का प्राबधान किया जाएगा।

(10) अनुमानित लाभ :

क. महिलायों के लिए गाँव स्तर पर रोज़गार उपलब्ध होगा।

ख इस गतिविधि पर अन्य व्यस्तताओं से निकले गए थोड़े बहुत समय को उनकी कमाई में उसी अनुपात में वृद्धि करने की सुविधा देगा।

ग समूह के सभी सदस्यों के लिए आजीविका के साधन में वृद्धि का दीर्घ कालीन एवं निरंतर साधन उपलब्ध होगा।

5. आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पादों का विवरण

4.1	उत्पाद का नाम	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि
4.2	उत्पाद की पहचान की पद्धति	बाज़ार की मांग तथा समूह में विचार विमर्श
4.3	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सहमति	सहमति पत्र संलग्न है।

6. उत्पादन की प्रक्रिया का विवरण

सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को परियोजना द्वारा कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि की बुनाई का प्रशिक्षण किसी कुशल संस्था अथवा संस्थान द्वारा दिया जाएगा। राधिका समूह के 10 सदस्य यह कार्य करेंगी। प्रशिक्षण के उपरान्त समूह इस कार्य को मांग के अनुसार अधिक स्तर पर करेंगी।

1. **कोटी:** - समूह के 3 सदस्य डिजाईन वाली कोटी की बुनाई का कार्य करेंगे। अनुमान है कि प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 2 दिन में 1 कोटी तैयार करेगा। इस प्रकार से तीन सदस्य एक माह में 45 कोटियाँ बना सकती हैं।

2. **स्वेटर:** - समूह के 3 सदस्य डिजाईन वाली स्वेटरों की बुनाई का कार्य करेंगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 2 दिन में 1 स्वेटर तैयार करेंगे। इस प्रकार से तीन सदस्य एक माह में 45 स्वेटर बना सकती हैं।

3. **बच्चों के सेट:** - समूह के 2 सदस्य डिजाईन वाले बच्चों के सेट की बुनाई का कार्य करेगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 2 बच्चों के सेट तैयार करेगी। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 120 सेट बना सकती हैं।

4. **जुराबे:** - समूह के 1 सदस्य डिजाईन वाली जुराबों की बुनाई का कार्य करेगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 4 जुराबों के जोड़े तैयार करेगी। इस प्रकार से 1 सदस्य एक माह में 120 जुराबों के जोड़े बना सकती हैं।

5. **टोपी:** - समूह के 1 सदस्य डिजाईन वाली टोपी की बुनाई का कार्य करेगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 4 टोपी तैयार करेगी। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 120 टोपियाँ बना सकती हैं।

7. उत्पादन हेतु नियोजन

7.1	प्रति माह कार्य दिवस	30 दिवस (2 दिन औसतन 4-5 घंटे = 1 दिहाड़ी)
7.2	प्रति माह काम करने वाले व्यक्ति	10 महिलाएं (150 दिहाड़ीयां)
7.3	कच्चे माल का स्रोत	कुल्लू
7.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	कुल्लू

8 विपणन

8.1	संभावित कार्यक्षेत्र	समीप के गाँव व समीप के बाज़ार काईस, कुल्लू, पतलीकूहल और मनाली।
8.2	संभावित कार्यों का अनुमान	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि
8.3	ऋतू परिवर्तन अनुसार कार्य की संभावना	यह कार्य साल भर होगा यद्यपि गर्मियों के लगभग चार माह मांग कम होगी।
8.4	चिन्हित ग्राहक	गाँव व कस्बों की महिलाएँ, पुरुष व बच्चे। अधिकांश तैयार वस्तुओं के क्रेता पर्यटक होंगे।
8.5	कार्य की उपलब्धता हेतु रणनीति	सीधा सम्पर्क व स्थापित हस्तकला के शो रूम, दुकानों में उत्पाद की विक्री या बुनाई का काम लेना होगा।
8.6	प्राथमिकतायें	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि। इस के अतिरिक्त गरम धागों के मफलर, स्कार्फ़ आदि की

9. श्रम का वितरण

समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यों का बटवारा करेंगे तथा किये गये कार्य के अनुपात में प्राप्त आय का वितरण करेंगे। इस समय विचार है कि स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य हर प्रकार का काम करेंगे परन्तु बाज़ार की मांग के अनुसार बुनी जाने वाली वस्तुओं में क्या क्या बुनना है, निर्भर करेगा। इस व्यवसाय योजना में तैयार किये जाने वाले वस्तुओं की संख्या सांकेतिक मात्र है जो बाज़ार की मांग के अनुसार निर्धारित होगा। कार्य का बटवारा एवं प्रत्येक सदस्य की रुचि, दक्षता तथा दिए जाने वाले समय पर निर्भर करेगा। सभी सदस्य बारी बारी लेन देन का हिसाब रखेंगे।

10. शक्ति, दुर्बलता, अवसर व जोखिम का विश्लेषण (SWOT Analysis)

शक्ति :

1. सभी समूह सदस्य सामान व अनुकूल सोच रखते हैं।
2. समूह के एक सदस्य छोटे पैमाने पर बुनाई का कार्य करेंगे।

दुर्बलता:

1. स्वयं सहायता समूह के लिए नया काम है।
2. समूह में मशीन पर कार्य करने का अनुभव नहीं है।

अवसर:

1. समूह को बड़े स्तर पर काम मिल सकता है यदि वे सफाई, गुणवत्ता आदि पर ध्यान रखें।
2. स्थानीय बाज़ारों में गरम वस्त्रों की मांग ठंडा क्षेत्र होने तथा पर्यटकों का आवागमन होने के कारण अधिक है।
3. परियोजना द्वारा बुनाई की मशीनें इत्यादि खरीदने के लिए अनुसूचित जाति / जनजाति

तथा गरीब सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 75% तथा सामान्य श्रेणी महिला को 50% सहायता उपलब्ध है ।

4. परियोजना द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण मौके पर /प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा करवाया जाएगा ।

जोखिम:

1. समूह में आन्तरिक टकराव होने पर समूह का कार्य प्रभावित हो सकता है ।
2. मांग व पारदर्शिता के अभाव में समूह टूटने की सम्भावना हो सकती है ।
3. फेशन के अनुसार परिवर्तन न करें तो काम की मात्रा प्रभावित हो सकती है ।
4. अनुभवी व कुशल कारीगरों से स्पर्धा में खरे उतरना होगा ।

11. उद्यम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना/आकलन :

अ) पूंजीगत व्यय

क्रमांक	गतिविधि	संख्या	अनुमानित मूल्य	कुल व्यय	परियोजना अंश	लाभार्थी अंश
1	बुनाई की मशीन	10	10000	100000	60000	20000
	योग			100000	75000	25000

* अन्य छोटा आवश्यक समान महिलाएं स्वयं उपलब्ध कर रही हैं ।

* उपरोक्त पूंजीगत व्यय का लाभार्थी अंश नकदी के रूप में स्वयं वहन करेंगे ।

(ब) आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए एक महीना लिया गया है)

क्र०स०	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1.	परिवहन खर्चा	प्रति माह	-	L/S	700
2.	कमरे का किराया	प्रति माह		L/S	500
क) कोटी (45 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	30	625	18750
2	अन्य बटन आदि		45	L/S	400
3	मजदूरी	दिहाडी	45	275	12375
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 5/- रु. प्रति		45	5	225
	कुल				31750

ख) स्वेटर (45 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	34.7	625	21688
2	अन्य बटन आदि		45	L/S	400
3	मजदूरी	दिहाडी	45	275	12375
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 5/- रु. प्रति		45	5	225
	कुल				34688
ग) बच्चों के सेट (120 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	36	625	22500
2	अन्य बटन, इलास्टिक आदि		180	L/S	250
3	मजदूरी	दिहाडी	30	275	8250
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 4/- रु. प्रति		120	4	480
	कुल				31480
घ) जुराब (120 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	6	625	3750
2	कच्चा माल नायलॉन धागा	किलोग्राम	12	250	3000
3	मजदूरी	दिहाडी	15	275	4125
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 2/- रु. प्रति		120	2	240
	कुल				11115
ड) टोपी (120 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	17.4	625	10875
2	मजदूरी	दिहाडी	15	275	4125
3	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली इत्यादि 2/- रु. प्रति		120	2	240
	कुल				15240
	योग आवर्ती लागत				124273
	योग कुल आवर्ती व्यय (124273+1200)				125473
	आवर्ती व्यय (आवर्ती लागत-मजदूरी) = 125473-41250				84223
	कुल व्यवसाय योजना लागत (पूँजीगत व्यय+आवर्ती व्यय) =100000+84223				184223

(स) उत्पादन में लागत (एक चक्र के लिए)

क्र. सं.	विवरण	धनराशी
1	कुल आवर्ती व्यय	125473
2	पूँजीगत व्यय पर 10% मूल्य ह्रास	833
	योग	126306

(द) विक्रय मूल्य की गणना / आंकलन (प्रतिचक्र) :

क्र.सं.	वस्तु का नाम	संख्या	मजदूरी	औसत अन्य खर्चे	कुल धन राशी	प्रति नग लागत	आपेक्षित उत्पादन की मात्रा
1	कोटी	45	12375	19375	31750	705	45
2	स्वेटर	45	12375	22313	34688	771	45
3	बच्चों के सेट	120	8250	23230	31480	262	180
4	जुराबे	120	4125	6990	11115	93	240
5	टोपी	120	4125	11115	15240	127	240
	योग	450	41250	114033	124273		

- तैयार गरम वस्त्रों/ सेट्स की संख्या मात्र सांकेतिक है जिसकी संख्या मांग के आधार पर तय होगा।

निर्धारित लाभ तथा कार्य से अनुमानित आमदानी						
		वस्तु संख्या	लागत (श्रम + खर्चे)	प्राप्य/विक्रय राशि	लाभ %	कुल राशि
1	कोटी	45	705	1000	41.5	45000
2	स्वेटर	45	771	1150	49	51750
3	बच्चों के सेट	120	262	375	43	45000
4	जुराबे	120	93	125	34	15000
5	टोपी	120	127	175	38	21000
	योग	450				177750

12. उच्चम हेतु लागत - लाभ विश्लेषण (एक चक्र के लिए) :

क्र.सं.	मद	धनराशी
1	पूँजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास	833
2	आवर्ती व्यय	
क	किराया	500
ख	परिवहन	700
ग	कच्चा माल धागा आदि	81613
घ	मजदूरी	41250
ड	औसत खर्चा रिपेयर मशीन , पैकेजिंग ,स्टीकर , बिजली इत्यादि	1410
	योग	126306
3	कुल उत्पादन संख्या	450
5	उत्पादन की बुनाई की विक्री से प्रति माह आय	177750
6	कुल लाभ = 177750- (833+125473)	51444
7	उत्पाद की विक्री से सकल लाभ = कुल लाभ + (मजदूरी + कमरा किराया) = (51444 +41250 + 500)	93194
8	एक चक्र के उपरान्त लाभ के रूप में सदस्यों के मध्य वितरण हेतु उपलब्ध धनराशी = उत्पाद से आय - (मूलधन व व्याज वापसी + दुसरे चक्र हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय - मजदूरी) = 177750- (1650+56+126143 - 41250)	91151
9	उत्पादन आधा होने पर समूह में बाँटने योग्य राशि =उत्पाद विक्री का 50%-(औसत मूलधन व व्याज वापसी +दुसरे चक्र हेतु आवर्ती व्यय) =88875- (1650+56+84223)	2946

- शुद्ध लाभ प्रति सदस्य का वितरण सदस्यों के मध्य सहमत अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

13. धन की आवश्यकता

समूह की वित्तीय आवश्यकता :

क्र०स०	मद	धनराशी (रु)
1	पूँजीगत व्यय	100000
2	आवर्ती व्यय का 50%	42110
	योग	142110

14. समूह के वित्तीय संसाधन :

क्र०स०	संसाधन का विवरण	धनराशी
1	पूँजीगत व्यय पर परियोजना द्वारा सहायता राशि	75000
2	लाभार्थी अंश	25000
3	समूह की आंतरिक बचत	24000
	योग	124000
	अतिरिक्त राशि की आवश्यकता =142110-124000	18110 or say=18500

15. सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक ईवन पॉइंट) की गणना :

ब्रेक ईवन पॉइंट = पूँजीगत व्यय / प्रति उत्पाद की विक्री से लाभ

$$=100000/ 867=115 \text{ दिन अर्थात लगभग चार माह}$$

उपरोक्त अनुपात में विभिन्न प्रकार के 450 सेट सिलाई करके देने पर ब्रेक ईवन पॉइंट 115 दिनों में प्राप्त होगा अर्थात इस गतिविधि में लगे पूँजीगत लागत हेतु व्यय राशी को चार महीनों में प्राप्त किया जा सकेगा।

16. धनराशी की व्यवस्था :

आवश्यकतानुसार 18500/- की राशी के अंतर को यदि महिलाएं बैंक से ऋण लेती हैं तो इस राशी के मूलधन व व्याज के भुगतान का अनुमानित व्योरा निम्न प्रकार से होगा:-

क्र० स०	माह	ऋण वापसी						संचय ऋण वापसी	अवशेष ऋण		
		मूल धन	कुल व्याज	परियोजना द्वारा 5% व्याज देय	समूह द्वारा व्याज 7% देय	समूह द्वारा प्रति माह देय किश्त	कुल मूलधन वापसी		मुलधन	12 प्रतिशत व्याज	कुल
1	माह 1								18500	185	18685
2	माह 2	1573	185	77	108	1758	1650	2500	16927	169	17096
3	माह 3	1579	169	71	99	1749	1650	5000	15348	153	15501
4	माह 4	1586	153	64	90	1740	1650	7500	13762	138	13899
5	माह 5	1593	138	57	80	1730	1650	10000	12169	122	12291
6	माह 6	1599	122	51	71	1721	1650	12500	10570	106	10675
7	माह 7	1606	106	44	62	1712	1650	15000	8964	90	9053
8	माह 8	1613	90	37	52	1702	1650	17500	7351	74	7425
9	माह 9	1619	74	31	43	1693	1650	20000	5732	57	5789

10	माह 10	1626	57	24	33	1683	1650	22500	4106	41	4147
11	माह 11	1633	41	17	24	1674	1650	25000	2473	25	2497
12	माह 12	1640	25	10	14	1664	1650	4354	0	0	0
13	माह 13	833	0	0	0	350	350	0	0	0	0
	योग	18500	1159	483	676	19176	18500	0	0	1159	0

क) समूह की महिलाएं पूंजीगत लागत के लाभार्थी के अंश को तथा आवर्ती लागत को जमा राशि में से तथा नकद राशि के रूप में नकद इकट्ठा करेंगी अथवा रिवाँल्विंग फण्ड का उपयोग करेंगी या बैंक से ऋण लेंगी ।

ख(जैसे जैसे काम बढेगा वे आवर्ती व्यय को भी लाभ के रूप में प्राप्त होने वाली राशी से बाज़ार , से खरीददारी करेंगी ।

ग) ऋण लेने की सूरत में परियोजना व्याज का 5% भाग जो कि 483/- रु० बनता है, सीधे बैंक को अतिरिक्त सहायता के रूप में जमा करेगा ।

17. स्वयं सहायता समूह के नियम

1. समूह का काम : गरम धागों से वस्त्रों की बुनाई ।
2. समूह का पता : गाँव रोऊगी , डाकघर कार्डिस , जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ।
3. समूह के कुल सदस्य: 10
4. समूह की पहली बैठक की तिथि : 10.06.2020
5. समूह में हर 100 रूपए के ऋण पर 2 रूपए ब्याज होगा ।
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 5 तारीख को होगी ।
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेगे ।
8. स्वय सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा ।
9. स्वय सहायता समूह का खाता पंजाब नेशनल बैंक, सेऊबाग शाखा में खोला गया है तथा खाता संख्या 2430000100209674 है।
10. समूह की बैठक में गेर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी ।
11. समूह में जो बचत की राशी जमा नही करवाते या 3 बैठको तक समूह से गेर हाज़िर रहते है तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाएगा ।
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए वगेर गेर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होंगे तो खर्च मिल कर देना होगा ।
13. स्वय सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाएंगे ।
14. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते है यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा ।
15. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई काम नही करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेगे ।

16. अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकती है अन्यथा नहीं ।
17. ऋण का उद्देश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी ।
18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रुपये की राशी होनी चाहिए ।
19. स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए
20. बड़े ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी ।
21. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए ।
22. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा राशी समूह में बाटी जाएगी ।
23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit) के कार्यालय में देनी होगी ।

समूह का सहमती पत्र एवं स्वीकृति

आज दिनांक 25.03.2022 को राधिका स्वयं सहायता समूह (कराडसू उप-समिति) की बैठक हुई। बैठक में प्रधान श्रीमती धन्ना देवी की अध्यक्षता में हुई जिसमें समूह के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आय बढ़ाने के लिए स्वेटर, जुराब, टोपी आदि की बुनाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (जाईका वित्तपोषित) से जुड़ने की सहमती प्रदान करते हैं तथा उपरोक्त परियोजना की सहायता से सभी सदस्यों द्वारा चयनित की गई गतिविधि जो कि बुनाई है, को इसकी व्यवसाय योजना के अनुसार या बाज़ार की मांग के अनुसार सभी सदस्य मिलजुल कर सफल बनायेंगे।

नाम Sirendori
राधिका स्वयं सहायता समूह
गाँव राऊगी तहसील कुल्लू (हि०००)
समूह के सचिव के हस्ताक्षर

प्रधान Dhanya Devi
राधिका स्वयं सहायता समूह
गाँव राऊगी तहसील कुल्लू (हि०००)
समूह के प्रधान के हस्ताक्षर

फील्ड तकनीकी यूनिट (FTU)
वन्यप्राणी परिक्षेत्र, मनाली ।

प्रधान प्रशिक्षक, सचिव खजांची
कराडसू डेवपेक्षिता उप समिति
(जैव विविधता प्रविद्यालय कुल्लू (हि०००))

स्वीकृत

Divisional Management Unit Officer
कुल्लू मंडलीय वन्यप्राणी विभाग (DMU)
वन्यप्राणी मंडलीय विभाग, कुल्लू
Wild Life Division, Kullu

स्वयं सहायता समूह राधिका (कराडसू उप- समिति) के सदस्य

 <p>Smt. Dhanna Devi-President</p>	 <p>Smt. Surendri-Secretary</p>	 <p>Smt. Bimla Devi-Cashier</p>	 <p>Smt. Shanti Devi</p>
 <p>Smt. Mokshri Devi</p>	 <p>Smt. Bhadri Devi</p>	 <p>Smt. Shauni Devi</p>	 <p>Smt. Gumti Devi</p>
 <p>Smt. Kamla Devi</p>	 <p>Smt. Pinki Devi</p>